

14 SEP 2015

7593

अत्यावश्यक
बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015बिहार सरकार
निर्वाचन विभागमुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना-800015.निर्वाचन
ई-मेलफोन नं० :- 0612-2217956
फैक्स नं० :- 0612-2215611
ई-मेल :- ceo_bihar@eci.gov.inपत्रांक-- बी1-3-81/2015-4573
प्रेषक

पटना, दिनांक 14 सितम्बर, 2015 ई०।

अरविन्द कुमार चौधरी,
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

सेवा में

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-जिला पदाधिकारी
(बिहार राज्य)।विषय : बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 - <http://genesys.nic.in> पर A01, A02,
Uploading Affidavit, D03 एवं EPIC Coverage से संबंधित प्रपत्रों में ऑन लाईन डाटा
इन्ट्री करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार बिहार
विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 से संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि <http://genesys.nic.in> पर निम्नांकित
प्रपत्रों में ऑन लाईन की जानी है :-

- 1) **A01 - AC Summary** - इस प्रपत्र में नामांकन से संबंधित सूचना अभ्यर्थीवार (पुरुष, महिला, अन्य, कुल)/राजनैतिक दलवार (National Parties, State Parties, Regd. Unrecognised, Independents) प्रविष्टि की जानी है। यह अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि को अपलोड कर दिया जाना है।
- 2) **A02- Candidate Details** - इस प्रपत्र में सभी अभ्यर्थियों के विवरण (Name, Sex, Party Affiliation, Symbol, New SI No., Mark VIP, Withdrawn, Rejected) प्रविष्टि किये जाने हैं। यह प्रविष्टि अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि तक प्रतिदिन अद्यतन (Update) की जानी है।
- 3) **Upload Affidavit** - इस प्रपत्र में सभी अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन के समय दाखिल किये शपथ पत्र/प्रति-शपथ पत्र की स्वच्छ स्कैण्ड (Scanned) प्रति अपलोड कराई जानी है। स्वच्छ स्कैण्ड (Scanned) शपथ पत्र/ प्रति-शपथ पत्र की प्रति नामांकन दाखिल करने के 24 घंटे के अंदर अपलोड किया जाना है।
- 4) **D03-Electors and Polling Station** - इस प्रपत्र में मतदान केन्द्र, सहायक मतदान केन्द्र, सामान्य निर्वाचकों (पुरुष, महिला, अन्य, कुल) एवं सेवा निर्वाचकों (पुरुष, महिला, अन्य, कुल) से संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि की जानी है। यह प्रविष्टि नामनिर्देशन की अंतिम तिथि के दो दिन पूर्व कर दी जानी है।

- 5) **EPIC Coverage** – इस प्रपत्र में निर्वाचक सूची में ईपिक तथा छायाचित्र आच्छादन का प्रतिशत से संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि की जानी है। यह प्रविष्टि नामनिर्देशन की अंतिम तिथि के दो दिन पूर्व कर दी जानी है।

साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 में अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किये जाने वाले नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र जिला की वेबसाईट तथा भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट (Genesys) पर नामांकन दाखिल करने के 24 घंटे के अंदर अपलोड कराया जाना है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि <http://genesys.nic.in> पर A01, A02, Upload Affidavit, D03 एवं EPIC Coverage से संबंधित उपर्युक्त प्रपत्रों में आंकड़ें/सूचनायें तथा अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किये जाने वाले नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र ससमय अनिवार्य रूप से अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाये। <http://genesys.nic.in> पर log in किये जाने हेतु यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है।

इस संबंध में किसी प्रकार की समस्या/कठिनाई होने की स्थिति में श्री अजीत कुमार, आई.टी. मैनेजर से उनके मोबाईल संख्या 8986110287 अथवा श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. से उनके मोबाईल संख्या 9431432962 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अरविन्द कुमार चौधरी)

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

ज्ञापांक : बी1-3-81/2014-4573

पटना, दिनांक 14 सितम्बर, 2015 ई0।

प्रतिलिपि : बिहार राज्य के सभी जिलों के जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी/ उप निर्वाचन पदाधिकारी/ प्रभारी उप निर्वाचन पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी, जिला निर्वाचन शाखा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि <http://genesys.nic.in> पर A01, A02, D03 एवं EPIC Coverage से संबंधित प्रपत्रों में आंकड़ें/सूचनायें निर्धारित तिथि को अनिवार्य रूप से अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाये।

(अरविन्द कुमार चौधरी)

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

ज्ञापांक : बी1-3-81/2014-4573

पटना, दिनांक 14 सितम्बर, 2015 ई0।

प्रतिलिपि : राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी./श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी./श्री अजीत कुमार, आई.टी. मैनेजर (प्रतिनियुक्त), निर्वाचन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरविन्द कुमार चौधरी)

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।